समाहरणालय, गया।

(शस्त्र शाखा)

गया जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

(आम सूचना)

एतद द्वारा गया जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार के विभागीय पत्रांक–7584 दिनांक–29.08.18 के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र D.O. No.-V-11026/133/2017-Arms दिनांक–13.08.18 द्वारा सूचित किया गया है कि लंबित मामलों की प्रविष्टि NDAL Portal में करने हेतु इसे पुनः खोलते हुए UIN Generate करने की तिथि दिनांक–31.03.19 तक विस्तारित की गई है एवं लंबित सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों की प्रविष्टि NDAL Portal पर उक्त तिथि तक अनिवार्य रूप से किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि आयुध नियम, 2016 के नियम–15(2) में सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति की डाटा को NDAL प्रणाली में प्रविष्टि करने, जो एक विशिष्ट पहचान संख्याक (UIN) व्युत्पन्न करेगा एवं इसके बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जायगी, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है। पूर्व प्राप्त निदेश के अनुसार सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तियों का दिनांक–31.03.18 के पूर्व एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) आवंटित किया जाना था।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का डाटाबेस तैयार करने हेतु पूर्व से NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किये गये चार तरह के विहित प्रपत्र शस्त्र शाखा, समाहरणालय, गया से हाथों हाथ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह गया जिला के **Website: www. gaya.bih.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

Form -1 (Individual Licensee-Originally issued from Gaya District) : गया जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form - 2 (Individual Licensee-Issued By Outside Authority But Entered in O.D. Register of Gaya District) : गया जिला से बाहर के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों जो ओ0 डी0 पंजी में दर्ज है, के लिए।

Form - 3 (Licensee- Sports Person) : Sporting Weapon के लिए प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों के लिए।

Form - 4 (Licensee Particulars-Institution) : संस्थान के लिए प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों के लिए।

अतः वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति दिनांक–01.04.16 के पूर्व निर्गत है तथा जिनके द्वारा दिनांक–31.03.18 तक NDAL डाटा बेस फार्म भरकर जमा नहीं किया गया है, वे दिनांक–25.03.19 तक निश्चित रूप से विहित प्रपत्र (प्रपत्र 1,2,3 एवं 4) में वाँछित सूचनाएँ (डाटाबेस फार्म) (शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वअभिप्रमाणित सभी पृष्ठों की छायाप्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन रंगीन फोटो सहित) पूर्ण एवं शुद्ध रूप से भरकर शस्त्र शाखा, समाहरणालय, गया में अपने द्वारा/अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें। विहित प्रपत्र में वाँछित सूचनाएँ (डाटाबेस फॉर्म) फैक्स, इ–मेल, डाक के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगा। नई निर्धारित तिथि पश्चात बिना UIN के शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वतः अवैध (Invalid) हो जायेगी जिसके लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
गया।